राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – राजपाल यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर – 109/2018

मातादीन फागणा पुत्र श्री अर्जुनराम जाति गुर्जर उम्र 44 वर्ष निवासी माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.... वादी

ब–ना–म

1. बिमला देवी पत्नी होशियार सिंह जाति गुर्जर निवासी माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
2. सजना देवी पत्नी स्व. रामसिंह
3. विक्रम पुत्र स्व. रामसिंह
4. मनोज पुत्र स्व. रामसिंह
5. विवके पुत्र स्व. रामसिंह जाति गुर्जर निवासी नई कोठी तन् माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
6. निर्मला उर्फ निम्बा पुत्री स्व. रामसिंह पत्नी शीशराम जाति गुर्जर निवासी ढाणी बनियाला ग्राम संजय नगर पोस्ट पपुरना तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
7. मोनिका पुत्री स्व. रामसिंह पत्नी विजयपाल जाति गुर्जर निवासी ढाणी बनियाला ग्राम संजयनगर पोस्ट पपुरना तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
8. जगदीश चन्द पुत्र पोकर जाति गुर्जर निवासी नई कोठी तन् माधोगढ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
9. महावीर प्रसाद पुत्र सोनाराम
10. प्रभूदयाल पुत्र सोनाराम
11. देवीसहाय पुत्र धन्नाराम जाति गुर्जर निवासी नई कोठी तन् माधोगढ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

..........प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी (झुन्झुनूं)

दावा– घोषणात्मक खातेदारी, खाता विभाजन

बेदखली व स्थाई निषेधाज्ञा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2021.04.30 16:42:55 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय **दिनांक 09–04–2021**

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 15–09–2019 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित किया गया [illegible] तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2071 लगायत 2074 के खाता सं. 71 [illegible] नंबर 590 रकबा 1.95 है. भूमि में वादी का 0.11 है. भूमि का खाता विभाजन कर [illegible] अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनूं)

मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 6.11.2004 को मध्य नजर रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र भिजवाने हेतु तहसीलदार, खेतड़ी को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी ने अपने पत्र क्रमांकः भू.अ./2021/416 दिनांक 08.02.2020 से न्यायालय के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादी विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 08–02–2021 के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 08–02–2021 (प्रदर्श–'अ' व 'ब') का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 08–02–2021 (प्रदर्श–'अ' व 'ब') के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 08–02–2021 (प्रदर्श–'अ' व 'ब') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 08–02–2021 (प्रदर्श–'अ' व 'ब') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें। तहसीलदार खेतड़ी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श–'ब' के अनुसार सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09–04–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनू)

उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी (झुन्झुनू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2021.04.30 16:42:55 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी – राजपाल यादव, आर.ए.एस.

उनवान

मातादीन फागणा पुत्र श्री अर्जुनराम जाति गुर्जर उम्र 44 वर्ष निवासी माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

ब–ना–म

1. बिमला देवी पत्नी होशियार सिंह जाति गुर्जर निवासी माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
2. सजना देवी पत्नी स्व. रामसिंह
3. विक्रम पुत्र स्व. रामसिंह
4. मनोज पुत्र स्व. रामसिंह
5. विवके पुत्र स्व. रामसिंह जाति गुर्जर निवासी नई कोठी तन् माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
6. निर्मला उर्फ निम्बा पुत्री स्व. रामसिंह पत्नी शीशराम जाति गुर्जर निवासी ढाणी बनियाला ग्राम संजय नगर पोस्ट पपुरना तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
7. मोनिका पुत्री स्व. रामसिंह पत्नी विजयपाल जाति गुर्जर निवासी ढाणी बनियाला ग्राम संजयनगर पोस्ट पपुरना तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
8. जगदीश चन्द पुत्र पोकर जाति गुर्जर निवासी नई कोठी तन् माधोगढ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
9. महावीर प्रसाद पुत्र सोनाराम
10. प्रभूदयाल पुत्र सोनाराम
11. देवीसहाय पुत्र धन्नाराम जाति गुर्जर निवासी नई कोठी तन् माधोगढ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

दावा बाबत **घोषणात्मक खातेदारी, खाता विभाजन, बेदखली व स्थाई निषेधाज्ञा**

मुकदमा नम्बर :– **109/2018**

निर्णय दिनांक :– **09–04–2021**

वादी की ओर से **श्री गिरधारी लाल सैनी एडवोकेट** की व प्रतिवादीगण की ओर से ..... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **09–04–2021** मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

"अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 08–02–2021 (प्रदर्श–'अ' व 'ब') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 08–02–2021 (प्रदर्श–'अ' व 'ब') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **09–04–2021** को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2021.04.30 16:42:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी (झुन्झुनू)

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनू)